संख्या- 57/2026/1020/2026-001-27-10002(002)/15/2026-10

प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 02 जून, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद-बस्ती एवं मेरठ की खण्डीय/केन्द्रीय कार्यशाला के आधुनिकीकरण की 02 परियोजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-1288/09-08/सिंचाई कार्यशाला/2026-27/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 20.05.2026, पत्रांक-940/09-08/सिंचाई कार्यशाला/2026-27/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 20.05.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94 के लेखाशीर्षक 4702-102-03-0316-24 ''खण्डीय/सिंचाई कार्यशाला में स्थापित उपकरण एवं संयंत्रों का आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापना'' के अन्तर्गत जनपद-बस्ती एवं मेरठ की खण्डीय/केन्द्रीय कार्यशाला के आधुनिकीकरण की निम्नलिखित 02 परियोजनाओं की कॉलम-3 में अंकित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित कुल धनराशि रू0 1,55,00,000/- (रूपये एक करोड़ पचपन लाख मात्र) व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	**परियोजना का नाम**	**प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु परियोजना की लागत**	**प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जाने वाली धनराशि**
1	***2***	***3***	***4***
1	जनपद बस्ती के अन्तर्गत नलकूप खण्ड बस्ती में खण्डीय कार्यशाला एवं भण्डार गृह का आधुनिकीकरण एवं खण्डीय कार्यशाला के उपकरणों एवं संयंत्रों के आधुनिकीकरण व पुनर्स्थापना की परियोजना	65.42	60.00
2	जनपद-मेरठ में स्थित सिंचाई कार्यशाला खण्ड मेरठ के अन्तर्गत विभिन्न शापों के आधुनिकीकरण की परियोजना	111.23	95.00
कुल धनराशि -			**155.00**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित न कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर अनुमोदित कार्य पर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिए गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन कर लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(7) विभागाध्याक्ष द्वारा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(8) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(9) विभागाध्यक्ष नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराएं।

(10) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में शासन को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(11) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का विभागाध्यक्ष द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।

(12) विभागाध्यक्ष द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार),निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(13) विभागाध्यक्ष अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जाएगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक-25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक-11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(14) 01 प्रतिशत लेबरसेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,55,00,000 (रुपये एक करोड़ पचपन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4702001020316 खण्डीय कार्यशालाओं में स्थापित उपकरण एवं संयंत्रों का आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

<u>संख्या-57/2026/1020(1)/2026-001-27-10002(002)/15/2026-10, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(6) संबंधित मुख्य अभियन्तागण (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, **<u>द्वारा-</u>** प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(7) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी0एम0 आई0एस0 पोर्टल।
(8) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(9) नोडल अधिकारी/अनु सचिव, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई एवं जल संसाधन अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(12) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।